तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **पेमूमल चन्दानी बनाम लोक सूचना अधिकारी** **अपील संख्या 2026/1**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.26	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट की टिप्पणी पत्रांक प.3 (1) (1) आरटीआई/संआज/2025/06056/15 दिनांक 16.01.2026 से प्राप्त। जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना याचिका संख्या 4860/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नगर निगम जयपुर से पालना करवाने के संदर्भ में थी। जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक 645 दिनांक 19.11.2025 द्वारा निर्धारित शुल्क (एक पृष्ठ राशि दो रूपये) जमा कराने हेतु प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा ई–चालान दिनांक 02.12.2025 को राजकोष में शुल्क जमा करवाया गया था। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक 658 दिनांक 08.12.2025 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी के पते पर भिवजा दी गई है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना नगर निगम जयपुर से संबंधित है। अपील खारिज फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क जमा करवाने के उपरान्त इस कार्यालय से सम्बन्धित सूचना पत्रांक 658 दिनांक 08.12.2025 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी के पते पर भिजवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रतिलिपि उभयपक्ष को भिजवाई जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (पूनम) (अपीलेट अधिकारी) संभागीय आयुक्त, जयपुर। 21/1/26	